समाचार संक्षेप

भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर, 17 फरवरी । भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों की आज भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए। भाजपा के कार्यालय मंत्री अशोक बजाज ने बताया कि इस बैठक में 7 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए । बैठक में संगठन को मजबूत करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में सभी प्रकोष्ठों को पार्टी हित सक्रिय होने का आह्वान किया।

नई आबकारी नीति में राहतः बार लाइसेंस सस्ता, होटल-रेस्टोरेंट कारोबार को बढ़ावा

रायपुर, 17 फरवरी । विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य में बार खोलना अब पहले की तुलना में काफी सस्ता हो जाएगा, जिससे नए निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई नीति के तहत 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संचालित होने वाले स्नरु-2 (क) और स्नरु-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है। पहले जहां इसके लिए 24 लाख रुपये शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब इसे घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे कारोबारियों को करीब 6 लाख रुपये की सीधी बचत होगी। सरकार ने केवल लाइसेंस फीस में ही राहत नहीं दी है, बल्कि अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि को भी कम किया है। इससे नए व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों पर शुरुआती वित्तीय दबाव कम होगा और निवेश के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने दिलीप ठाकुर को छत्तीसगढ़ गौरव रत्न से किया सम्मानित

दुर्ग, 17 फरवरी (दण्डकारण्य समाचार)। नगर की प्रतिष्ठित ओम सत्यम शिक्षण एवं जन विकास समिति के अध्यक्ष सीताराम ठाकुर तथा सचिव, जिला चिकित्सालय की जीवन दीप समिति के आजीवन सदस्य दिलीप ठाकुर को छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया विष्णु देव साय द्वारा 'छत्तीसगढ़ गौरव रत्न' सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान उन्हें वर्षों से किए जा रहे सतत सेवा, चिकित्सा एवं रचनात्मक सामाजिक कार्यों के लिए प्रदान किया गया।

दिलीप ठाकुर द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित विज्ञान विकास केंद्र तथा एससी/एसटी कन्या छात्रावास परिसर, दुर्ग की छात्राओं के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं मार्गदर्शन शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही सेंट्रल जेल के चिह्नित बंदियों को चिकित्सा सेवाएं, पुलगांव नाका स्थित समाज कल्याण विभाग के वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण, मार्गदर्शन एवं दवाइयों का वितरण भी निरंतर किया गया।आध्यात्मिक एवं सेवा कार्यों में अग्रणी श्री सत्य साई सेवा समिति के तत्वावधान में ग्रामीण अंचलों में विशाल मेडिकल कैंप आयोजित कर चिह्नित नेत्र रोगियों को चश्मे उपलब्ध कराए गए। साथ ही सेवा एवं रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत अनेक दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण दिलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। गर्मी के मौसम में प्याऊ सेवा के माध्यम से वर्षों से उल्लेखनीय योगदान दिया जा रहा है।

कोरोना महामारी के संक्रामक काल में जरूरतमंदों को मास्क, सेनेटाइज़र एवं राशन उपलब्ध कराने में उनके प्रशंसनीय योगदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी पूर्व में सम्मानित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा मूल्यवान सेवा एवं रचनात्मक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा राज्य स्तरीय 'गुरु रत्न' एवं 'छत्तीसगढ़ सेवा रत्न' सम्मान से भी अलंकृत किया जा चुका है। इस सम्मान पर श्री सत्य साई सेवा समिति, सत्यम शिवम् सुंदरम समिति, जिला चिकित्सालय जीवन दीप समिति, राजपूत क्षत्रिय महासभा (1282), केंद्रीय गोंडवाना समाज, छ.ग. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दुर्ग संभाग सहित अनेक सामाजिक संगठनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

लोकभवन से जुड़ रहे ग्रामीण, राज्यपाल की पहल पर बेमेतरा के लोगों ने किया भ्रमण

रायपुर, 17 फरवरी (दण्डकारण्य समाचार)। राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोकभवन की गतिविधियों से आम नागरिकों को जोड़ने के उद्देश्य से भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी के जनप्रतिनिधियों, स्व सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीणों ने लोकभवन का दौरा किया।

इस दौरान सरपंच शिवमूर्ति कोसले और विहान स्व सहायता समूह की प्रमुख गीता बंजारे के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों को लोकभवन परिसर के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन कराया गया। भ्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ मंडपम, उदंती परिसर, कन्हार परिसर, डिस्पेंसरी, सचिवालय की विभिन्न शाखाओं और हरे-भरे उद्यानों की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने परिसर में स्थापित ऐतिहासिक तोप का भी अवलोकन किया, जिसका उपयोग वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान किया गया था। भ्रमण के बाद ग्रामीणों ने लोकभवन की व्यवस्थाओं और परिसर को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए इसे एक अच्छा अनुभव बताया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम टेमरी को राज्यपाल रमेन डेका द्वारा गोद लिया गया है, जिसके तहत गांव के विकास और जागरूकता से जुड़े विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

अप्रैल में रिक्त होंगी राज्यसभा की दो सीटें, भाजपा-कांग्रेस में प्रत्याशी चयन में खींचतान

रायपुर, 17 फरवरी । राज्य में अप्रैल में होने वाले राज्यसभा की दो सीटों के चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। केटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के हिस्से में एक-एक सीट जाना तय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खाली हो रही दो सीटों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

कांग्रेस खेमे में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की चर्चा से प्रदेश इकाई में गुटबाजी देखी जा रही है। चर्चा है कि तेलंगाना में बाहरी उम्मीदवार के रूप में विरोध झेल रहे सिंघवी के लिए छत्तीसगढ़ को विकल्प बनाया जा सकता है। सिंघवी के पक्ष में केंद्रीय नेतृत्व की पैरवी और प्रदेश के शीर्ष नेताओं के कानूनी मामलों में उनकी भूमिका को अहम माना जा रहा है। हालांकि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा पार्टी के भीतर मतभेद पैदा कर रहा है। एक धड़ा फिर किसी बाहरी को मौका देने के विरोध में है। बताया जा रहा है कि स्थानीय नेता अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा में वापसी की कोशिश

सत्ताधारी भाजपा में विधानसभा चुनाव हार चुके कई नेता राज्यसभा के जरिए सक्रिय राजनीति में लौटने की कोशिश में हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बार संगठन से जुड़े किसी स्थानीय चेहरे को मौका दिया जा सकता है।

राज्य की पांच राज्यसभा सीटों में फिलहाल चार कांग्रेस और एक भाजपा के पास है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटें मिलने के बाद समीकरण बदले थे। 2018 से 2023 के बीच रिक्त हुई चारों सीटें कांग्रेस को मिलीं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के 54, कांग्रेस के 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक विधायक है। वर्तमान संख्या बल के आधार पर भाजपा के हिस्से में तीन और कांग्रेस के खाते में दो सीटें आने की संभावना जताई जा रही है।

बलरामपुर घटना पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया उच्चस्तरीय जांच और मुआवजे की मांग

रायपुर, 17 फरवरी । बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में हुई घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रतिक्रिया देते हुए मृतक किसान को श्रद्धांजलि अर्पित की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान जारी कर कहा कि घटना गंभीर है और इसमें शामिल सभी पक्षों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि प्रदेश में खनिज क्षेत्रों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आमजन का विश्वास बना रहे। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान नियमों और मानवीय पहलुओं का ध्यान रखने पर भी जोर दिया।

इस बीच, पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घटना को लेकर क्षेत्र में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है।

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बीजापुर

Tel. No. 07853-220082, E-Mail ID eebij-phe-cq@nic.in

निविदा क्र./29/त.शा/का.अ./ लो.स्वा.यां./खण्ड 2026 बीजापुर दिनांक 13/2/2026

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ के राज्यपाल की ओर से मुहरबंद निविदाएँ प्रपत्र ''अ'' प्रतिशत दर पर बीजापुर जिला अन्तर्गत विकासखण्ड़ बीजापुर/भैरमगढ़/भोपालपटनम में नियद नेल्लानार योजना के तहत चयनित ग्रामों में स्वीकृत नलजल योजनाओं के लिए नलकूप खनन कार्य हेतु जिला खनिज न्यास मद **(DMF) वित्तीय वर्ष 2025 -26 में प्राप्त आबंटन की प्रत्याशा में कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यॉ. खण्ड बीजापुर को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया है।** यह कार्य जिला खनिज न्यास मद अन्तर्गत स्वीकृत राशि से स्वीकृत नलजल योजनाओं में 150 मिमी. व्यास के 90 मीटर नलकूप खनन् कार्य के लिए **डी या उच्च श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदारों से **कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां. खण्ड बीजापुर** में आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्य में प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग रायपुर छ.ग. के यु.एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020 में Amedment date 18.04.2023 (Amedment No. 09/2023-24) से प्रभावशील एवं निविदा जारी होने की तिथि तक समस्त संशोधन सहित लागू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 05.03.2026 को शाम 5:30 बजे तक तथा निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 06.03.2026 शाम 5:30 तक है। निविदा प्रपत्र का मूल्य 750/-

समूह क्र.	विकास खण्ड	नलकूप की संख्या	अनु. लागत (लाख मे)	धरोहर राशि (FDR)
1	2	4	5	6
1	बीजापुर / भैरमगढ / भोपालपटनम	20	14.038	10600/

टीप - निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण नियम व शर्तें आदि की जानकारी कार्यालयीन अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
बीजापुर (छ.ग.)

जी-252606747/1

न्यायालय तहसीलदार तोकापाल जिला बस्तर छ.ग.

रा.प्र.क्र./क/तह./2024-25 तोकापाल दिनांक 06/02/2026

- उद्घोषणा-

सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मनीराम मौर्य पिता मोसू राम जाति मुरिया निवासी ग्राम टेकामेटा तहसील तोकापाल जिला बस्तर छ.ग. के द्वारा मेरे न्यायालय में जन्म/मृत्यु पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें आवेदक अपने पत्नी श्रीमती लखमी मौर्य/पति/मोसू मौर्य मृत्यु तिथि 15/01/2024 दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत टेकामेटा के अंतर्गत है यह उद्घोषणा ग्राम पंचायत के सूचना पटल में देखा जा सकता है। अर्थात उपरोक्त आवेदन पत्र के तारतम्य में मृत्यु तिथि के संबंध में किसी व्यक्ति/ग्रामवासी/पंचायत को किसी भी तरह कोई आपत्ति है तो वह न्यायालय कि पेशी तिथि 20/02/26 को स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दावा / आपत्ति दर्ज करा सकते है। पेशी पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

उद्घोषणा आज दिनांक 06/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

पेशी दिनांक 20/02/26

सील

तहसीलदार
तोकापाल

कार्यालय सेनानी सी.टी. जे.डब्ल्यू. कॉलेज कांकेर (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 01/श्वानदल/26

कार्यालय सेनानी सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर (छग) की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अधिकृत विक्रेताओं से पुलिस श्वानों हेतु खाद्य सामग्री (बकरा मटन) प्रदाय करने हेतु मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से (आयकर प्रमाण पत्र जमा कर) रूपये 500/- नगद भुगतान कर दिनांक 16.03.26 के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त कर जमा किये जा सकते है।

सामग्री का विवरण

क्र	सामग्री का नाम	तादात्	धरोहर राशि
01	बकरा मटन	10 क्विंटल	20,000/- (बीस हजार रूपये मात्र)

निविदा से संबंधित शर्ते एवं फार्म कार्यालय सेनानी सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर, श्वान दल से निविदा प्रकाशन की तिथि से 16.03.26 तक कार्यालयीन समय 10:30 बजे से 03:00 बजे तक प्राप्त कर जमा किया जा सकता है। निविदायें दिनांक 16.03.26 को सायं 04:00 बजे गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

सेनानी
सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज
कांकेर

जी-252606732/1

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

एन.आई.टी. क्रमांक/3240/आ.वि./निर्माण/2025-26 कांकेर, दिनांक 12/02/2026

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना
(द्वितीय सूचना)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से निम्नांकित कार्य के लिए कार्यालय कलेक्टर, (सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत ''D'' श्रेणी एवं इसमें ऊपर श्रेणी के ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा भवन दर अनुसूची जो 01.01.2015 से प्रभावशील एवं अद्यतन संशोधन सहित एस.ओ.आर. पद्धति के तहत ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह (वर्षा काल सहित) होगी।

1 - ई निविदा प्रारंभ तिथि - 12.02.2026
2 - ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 27.02.2026
3 - अमानत राशि (एफ.डी.आर.) एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि (स्पीड पोस्ट से) - 05.03.2026
4- निविदा खोलने की तिथि - 06.03.2026

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्रमांक	कार्य का नाम/स्थान का नाम	निविदा की राशि (लाख में)	अमानत राशि
1	2	3	4	5
1	185436	आदिवासी बालक आश्रम ओरछागांव में क्लास रूम निर्माण कार्य, वि.ख. कोयलीबेड़ा	19.40	15000
2	185437	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोटतरा में क्लास रूम निर्माण कार्य, वि.ख. चारामा	19.40	15000
3	185439	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोलर में क्लास रूम निर्माण कार्य, वि.ख. अंतागढ़	19.40	15000
4	185438	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास आमाबेड़ा में क्लास रूम निर्माण कार्य, वि.ख. अंतागढ़	19.40	15000

उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ शासन की ई- ओक्योरमेंट वेबसाईट-https://eproc.cgstate.gov.in पर में देखे जा सकते हैं।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, कांकेर

जी-252606700/13

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग सुकमा वनमण्डल, सुकमा जिला सुकमा (छ.ग.)

ईमारती काष्ठ का नीलाम विज्ञापन सुकमा वन मण्डल सुकमा, जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जगदलपुर वृत्त के सुकमा वन मण्डल के अन्तर्गत सुकमा काष्ठागार में संग्रहित ईमारती काष्ठ का ई-नीलाम दिनांक 02/03/2026 समय 02.00 बजे से ई-ऑक्सन द्वारा निवर्तन किया जावेगा ।

अतः इच्छुक व्यापारियों ई-ऑक्सन में अवश्य भाग लेवें । ई-ऑक्सन की शर्ते व अन्य जानकारियां कार्यालयीन दिवसों में काष्ठागार अधिकारी या वनमण्डल कार्यालय सुकमा से प्राप्त की जा सकती है ।

सुकमा काष्ठागार में ईमारती काष्ठ की मात्रा

प्रजाति	नया काष्ठ की मात्रा			पुराना काष्ठ की मात्रा			महायोग		
	घ.मीं.	बल्ली	डेंगरी	घ.मी.	बल्ली	डेंगरी	घ.मी.	बल्ली	डेंगरी
सागौन	57.280	55	167	368.797	195	234	**426.077**	**250**	**401**
साजा	3.657	58	0	64.851	403	0	68.508	461	0
साल	0	0	0	79.028	6	0	79.028	6	0
बीजा	4.425	7	0	105.394	84	0	109.819	91	0
धावड़ा	18.319	60	0	10.979	179	0	29.298	239	0
शिवना	0	0	0	0.064	3	0	0.064	3	0
हल्दु. मु.	0	0	0	7.912	0	0	7.912	0	0
तिन्सा	0	0	0	0.430	0	0	0.430	0	0
अन्य	3.962	26	0	56.180	1229	0	60.142	1255	0
शीशम	0	0	0	2.399	7	0	2.399	7	0
योगः-	**87.643**	**206**	**167**	**696.034**	**2106**	**234**	**783.677**	**2312**	**401**
मिश्रित जलाऊ चटटा	**200 चट्टा**			**184 चट्टा**			**384 चट्टा**		

टीपः- 1. क्रेता को ई-ऑक्सन के पूर्व एम.एस.टी.सी. ई-कार्मस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है ।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व क्रय लाटो के अपसेट प्राईज के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई.एम.डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है ।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो एम.एस.टी.सी. ई-कार्मस पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉगईन करके देख सकते है ।

वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल, सुकमा

जी-252606738/3

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269884
CG- DL-E- 07022026-269884

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II- Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15,1947
No.490] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd February, 2026

S.O. 519(E). - In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for ROB (Widening/two-four laning etc.) Maintenance, management and operation of NH-30 on the stretch of land from 2/4 lane ROB Level Crossing No. KK-89 on (Keshloor-Jagdalpur section) in the District of Bastar in the state of Chhattisgarh.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, Sub Division Officer (Revenue), Tokapal, Chhattisgarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure to be acquired for 2/4 lane ROB Level crossing No. KK-89 on (Keshloor-Jagdalpur section) of NH-30 in the District Bastar in the State of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH **District: BASTAR**

Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Tokapal **Village: Keshloor**					
1	442/1	Private	Agriculture	0.017 (Hectare	0.017
				Total	**0.017**

[F. No. 122545/3A]
SAIKH AMINKHAN, Director

SAMVAD - 46923